URGENT

O.M & H.S (E.S.I.) Receipt No. 2563 Date 30/5/12

circulate on such to all I/c of Hospitals & Dispensaries immediately. Enclosures.

Maintain ward file, discuss in monthly meeting of Doctors.

अत्यावश्यक
रजिस्टर्ड ए. डी.

राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
III[rd] Floor, RSIC wing, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर
दूरभाष–0141–2220743 फैक्स–0141–2385778
E-Mail.: smc-raj@esic.nic.in
Website- www.esicrajasthan.com
(An ISO 9001 : 2008 Certified Office)

संख्याः 15–यू–11 / (निर्देश) / एसएमसी / 2011 / 540 दिनांक 24.05.2012 28 MAY 2012

सेवामें,

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
करावी योजना,
लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड,
जयपुर।

विषयः टाई– अप हॉस्पिटल के स्तर पर बीमितों को दिये जाने वाले सुपरस्पेशलिटी ट्रीटमेंट (फोलोअप / सैकेण्डरी लेवल ट्रीटमेन्ट सहित) की भुगतान की स्पष्ट प्रकिया के निर्धारण हेतु।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में आपके पत्र संख्याः प.करावी / लेखा / सुपरस्पेशलिटी / सैकेण्डरी लेवल / 12 / 783 दिनांक 9.5.2012 के संबंध सूचित कर लेख है कि इस कार्यालय में दिनांक 09.05.2012 को हुई बैठक (जिसमें निदेशालय से निदेशक महोदय व लेखाधिकारी महादेय भी उपस्थित थे) में उक्त विषय के संबंध में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, फिर भी स्थिति पुनः स्पष्ट की जा रही हैः–

(क) सुपरस्पेशलिटी ट्रीटमेन्ट (Super Specialty Treatment)/ हेतु टाई अप अस्पताल में रेफर मामलों में भुगतान की प्रकियाः–

क्र सं.	विषय	निगम स्तर से भुगतान की प्रकिया	राज्य सरकार (DMHS) के स्तर से भुगतान की जाने वाली राशि
1.	(क) ओ.पी.डी. परामर्श (OPD Consultation) हेतु रेफर मामलों के संबंध में (New VISIT)	निगम द्वारा केवल परामर्श शुल्क का ही टाई अप अस्पताल को सीधे भुगतान किया जाएगा।	शून्य
	(ख) ओ.पी.डी. परामर्श (OPD Consultation) हेतु रेफर मामलों में रोगी के लिए टाई अप अस्पताल के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों के संबंध में–	शून्य	रोगी को परामर्श (कन्सलटेशन) के समय लिखी गई दवाइयॉ करावी औषधालय / अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा दवाइयॉ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उसका पुनर्भरण किया जाएगा।

2	(क) रोगी के रेफर के बाद भर्ती (In-door) मामलों के संबंध में–	निगम द्वारा केवल भर्ती के समय व्यय राशि का ही भुगतान टाई अप अस्पताल को किया जाएगा।	शून्य
	(ख) रोगी के टाई अप अस्पताल में भर्ती (Indoor) के बाद डिस्चार्ज (Discharge) के समय टाई अप अस्पताल के चिकित्सक द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयों के संबंध में–	शून्य	रोगी को डिस्चार्ज के समय लिखी गई दवाइयॉ कराबी औषधालय/अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाए अथवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उसका पुनर्भरण किया जाएगा।
3	(क) फालोअप ओपीडी परामर्श (Follow up OPD Consultation) के संबंध में–	निगम द्वारा केवल फोलोअप ओपीडी परामर्श शुल्क का ही टाई अप अस्पताल को सीधे भुगतान किया जाएगा।	शून्य
	(ख) फालोअप ओपीडी ट्रीटमेन्ट (Follow up OPD Treatment) के संबंध में–	शून्य	रोगी के टाई अप अस्पताल से ईलाज लेने के बाद, पुनः टाई अप अस्पताल में दिखाने जाने के समय वहॉ के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयॉ कराबी औषधालय/अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा दवाइयॉ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उसका पुनर्भरण किया जाएगा।

(ख) सैकण्डरी लेवल ट्रीटमेन्ट **(Secondary Level Treatment)** हेतु टाई अप अस्पताल में रेफर मामलों में भुगतान की प्रकियाः–

क सं.	विषय	निगम स्तर से भुगतान की प्रकिया	राज्य सरकार (DMHS) के स्तर से भुगतान की जाने वाली राशि
1.	(क) ओपीडी परामर्श (OPD Consultation) हेतु रेफर मामलों के संबंध में (New VISIT)	निगम द्वारा परामर्श शुल्क और ओपीडी परामर्श के समय टाई अप अस्पताल में की गई जॉचों **(Investigations)** का व्यय, टाई अप अस्पताल को सीधे ही भुगतान किया जाएगा।	शून्य

	(ख) ओपीडी परामर्श (OPD Consultation) हेतु रेफर मामलों में रोगी के लिए टाई अप अस्पताल के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों के संबंध में–	शून्य	रोगी को ओपीडी परामर्श (OPD Consultation) के समय लिखी गई दवाइयाँ कराबी औषधालय/अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उसका पुनर्भरण किया जाएगा।
2	(क) रोगी के रेफर के बाद भर्ती (In-door) मामलों के संबंध में–	निगम द्वारा रोगी के टाई अप अस्पताल में भर्ती के समय हुई व्यय राशि का भुगतान सीधे ही टाई अप अस्पताल को किया जाएगा।	शून्य
	(ख) रोगी के टाई अप अस्पताल में भर्ती (Indoor) के बाद डिस्चार्ज (Discharge) के समय टाई अप अस्पताल के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयों के संबंध में–	शून्य	रोगी के टाई अप अस्पताल से डिस्चार्ज (Discharge) के समय वहाँ के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयाँ कराबी औषधालय/अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा वहाँ पर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उनका पुनर्भरण किया जाएगा।
3	(क) फालोअप ओपीडी परामर्श (Follow up OPD Consultation) के संबंध में–	निगम द्वारा परामर्श शुल्क और फालोअप के दौरान टाई अप अस्पताल में की गई जाँचों **(Investigations)** का व्यय, टाई अप अस्पताल को सीधे ही भुगतान किया जाएगा।	शून्य
	(ख) फालोअप ओपीडी ट्रीटमेन्ट (Follow up Treatment) के संबंध में–	शून्य	रोगी के टाई अप अस्पताल से ईलाज लेने के बाद, पुनः टाई अप अस्पताल में फालोअप ओपीडी में दिखाने जाने के समय वहाँ के चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाइयाँ कराबी औषधालय/अस्पताल (राज्य सरकार (DMHS) के स्तर) से उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा दवाइयाँ उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनओसी के आधार पर रोगी के बाहर से खरीदने पर उनका पुनर्भरण किया जाएगा।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई भी लाभार्थी टाई अप अस्पताल के चिकित्सक द्वारा :–

(1) ओपीडी परामर्श (OPD Consultation) के समय लिखी गई दवाइयाँ,

(2) टाई अप अस्पताल में भर्ती (Indoor) के बाद, डिस्चार्ज (Discharge) के समय लिखी गई दवाइयाँ तथा

(3) फालोअप ओपीडी ट्रीटमेन्ट (Follow up OPD Treatment) से समय लिखी गई दवाइयाँ आपातकालीन स्थिति में टाई अप अस्पताल के पास कार्यरत निकटतम कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल/औषधालय से ले सकता है।

साथ ही लाभार्थी के साथ **IP our VIP** की तहत व्यवहार करने हेतु सभी को आदेशित करने का श्रम करें।

आपसे अनुरोध है कि आप सभी कराबी अस्पतालों/औषधालयों को उपर्युक्त विवरणानुसार आदेश जारी करें कि वे लाभार्थियों **(Beneficiaries)** (बीमित/आश्रित) को रेफर करते समय उपर्युक्त प्रकिया का पालन करने हेतु जानकारी दें, ताकि लाभार्थियों को दवाइयाँ उपलब्ध होने में आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। इस हेतु निगम मुख्यालय नई दिल्ली के पत्र संख्या: **V -24/11/10/2004 Med-1** दिनांक 6.4.2009 की प्रति संलग्न है।

यह पत्र राज्य चिकित्सा आयुक्त महोदया के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(वी. के. गोयल) 25/07/2012

उप निदेशक (प्रशासन)

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना,लक्ष्मीनगर, अजमेर रोड, जयपुर

क्रमांक : प.कराबी/लेखा/बीमित/ईएसआई/12/190-268 दिनांक 12/6/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राज0 जयपुर।
2. राज्य चिकित्सा आयुक्त, क0रा0बी0 निगम, जयपुर।
3. अधीक्षक/चि0अ0प्रभारी कराबी चिकित्सालय/औषधालय राजस्थान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि टाईअप में रेफर किये जाने वाले प्रकरणो में यह सुनिश्चित करें कि बीमित को रेफर व टाईअप हॉस्पीटल में दिखाने के पश्चात् बीमित पुनः औषधालय में उपस्थित होकर जो दवाईयॉ उपचार पर्ची पर अंकित की गई है उन्हे औषधालय से उपलब्ध करावें। औषधालय में दवाईयॉ उपलब्ध नही होने की स्थिति में एन0ए0/ए0टी0पी0 करने के पश्चात बीमित को औषधियॉ सरकारी उपभोक्ता की दुकान से कय करने हेतु निर्देशित करें। उसके उपरान्त ही बिल के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उक्त आदेशो की पालना कढाई से की जावें।
4. समस्त कनिष्ठ लेखाकार, इस निदेशालय।
5. श्री प्रतीक भट्ट, क0लि0. इस निदेशालय को वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु।

निदेशक एवं पदेन उप सचिव